फर्द–अहकॉम

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. आमदखान पुत्र बुरानखान 2. इनायतखान पुत्र बुरानखान 3. वलीखान पुत्र बुरानखान के कायम मुकाम 3/1 सुमार पुत्र वलीखान 3/2 बुरान पुत्र वलीखान जाति मुसलमान निवासी तेने की ढाणी पटवार मण्डल भलीसर तहसील धोरीमन्ना		1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, धोरीमन्ना

किस्म मुकदमा... राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

मुकदमा 177/2023

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
19.12.2023	प्रार्थीगण के वकील श्री देवाराम चौधरी ने यह राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा **131, 136** राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पेश किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 170/27 रकबा 3.8850 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम मौजा तेजे की ढाणी पटवार मण्डल भलीसर तहसील धोरीमन्ना में आई हुई है। विप्रार्थी की की भूमि खसरा नम्बर 169/27 रकबा 0.3480 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम की मौजा तेजे की ढाणी पटवार मण्डल भलीसर में आई हुई है। प्रार्थीगण ने ग्राम तेजे की ढाणी के मूल खसरा नम्बर 27 में से स्कूल निर्माण हेतु 2.03 बीघा भूमि समर्पण की थी। समर्पण करने से मूल खसरे के दो भाग खसरा नम्बर 170/27 व 169/27 में विभाजित हो गये। परन्तु लट्ठा में जहां तरमीम हुई है वह जगह परिशिष्ठ "ए" उबड़–खाबड़ है। जहां स्कूल का निर्माण करवाया जाना संभव नही है। स्कूल हेतु समर्पण भूमि की तरमीम को परिशिष्ठ "ब" अनुसार किया जावे। जहां पर स्कूल का निर्माण किया जा सकें है। विद्यालय हेतु समर्पण भूमि की तरमीम संशोधन के लिए तहसीलदार धोरीमन्ना से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार धोरीमन्ना ने भू.अ. निरीक्षक दूधू से मौका रिपोर्ट मंगवाकर इस न्यायालय में पेश की। रिपोर्ट अनुसार स्कूल निर्माण हेतु समर्पित भूमि मौके पर उबड़–खाबड़ व धोरे की भूमि होने से स्कूल का भवन बनाना संभव नही है। वर्तमान में जहां प्राथमिक विद्यालय जो झूंपा व छान में संचालित हो रहा है, वह भूमि समतल व विद्यालय भवन बनाने योग्य है। हमने बहस विस्तारपूर्वक सुनी गई। पत्रावली एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक आवलोकन किया। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार स्कूल निर्माण हेतु समर्पित भूमि मौके पर उबड़–खाबड़ व धोरे की भूमि होने से स्कूल भवन का निर्माण संभव नही होने से वर्तमान प्रस्तावित भूमि उसी खसरे में से 0.3480 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की है। **प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम तेजे की ढाणी तहसील धोरीमन्ना की खसरा संख्या [illegible] रकबा 0.3480 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा ट्रेस में [illegible] तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा जरिये पत्र क्रमांक/भू.अ./2023/17[illegible] दिनांक 21.09.2023 के संलग्न प्रेषित नक्शा परिशिष्ठ "ब" में [illegible] दर्शाये स्थान पर दूरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार धोरीमन्ना तदनुसार दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। नक्शा परिशिष्ठ "ब" इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश आज दिनांक 19.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।** 19.12.23 उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:45:51 IST
Reason: SelfAttested